न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 13 / 2017 **RCMS No:- 2017/00306**

सरकार जरिये भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. **Sh. Debashish paul s/o Late Sh. D.C. Pal General Manager, M/s Boutique Hotels India Pvt. Ltd. Khasra No. 8-9, Deviratn-Bullupura farms, jamdoli, Agra road, jaipur-303012**
   स्थाई पता– फ्लैट नं. सी–712, हमसब सोसाइटी, प्लॉट नंबर 14,सेक्टर–4, द्वारका नई दिल्ली।
2. **Mr. Santosh chaudhary s/o Sh. Amar kant chaudhary, Nominee, M/S Boutique Hotels India Pvt. Ltd, Khasra No. 8-9, Deviratn-Bullupura farms, jamdoli, Agra road, jaipur-303012**
   स्थाई पता– बी–76, फर्स्ट फ्लोर शिव शक्ति नगर, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर। 302017
3- **M/s Boutique Hotels India Pvt. Ltd. Khasra No. 8-9, Deviratn-Bullupura farms, jamdoli, Agra road, jaipur-303012**

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 25 / 07 / 2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री रोहित शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.08.2015 को **M/s Boutique Hotels India Pvt. Ltd. Khasra No. 8-9, Deviratn-Bullupura farms, jamdoli, Agra road, jaipur-303012**पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री देबाशीष पाल पुत्र स्व. श्री डी.सी. पाल उपस्थित मिले। देबाशीष पाल ने स्वयं को उक्त संस्थान का जनरल मैनेजर होना जाहिर किया। मौके पर वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म में एक स्टील पैन में 8 कि.ग्रा. पनीर रखा हुआ था। जिसका प्रयोग आम जनता को विक्रय हेतु तैयार खाद्य पदार्थ पनीर टिक्का, पनीर की सब्जी, करी आदि के निर्माण में किया जाता है। इनका निरीक्षण करने पर एवं अमानक / मिसब्राण्ड का संदेह होने पर वास्ते नमूना जाँच, उपस्थित गवाहान की उपस्थिति में फर्म के जनरल मैनेजर को सूचित करते हुए 1 कि.ग्रा. खाद्य पदार्थ पनीर वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत श्री देबाशीष पाल को 200 / – रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर जनरल मैनेजर एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रतिया तैयार कर जनरल मैनेजर देबाशीष पाल को फार्म संख्या 5 की एक प्रति देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्र के संलग्न है। खरीदशुदा पनीर 1 कि.ग्रा. को मूल ही चार भाग में बांटकर प्रत्येक भाग पर लेबल चिपकाये जिस पर स्टेट डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर ईई–594 खाद्य पदार्थ पनीर का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी ने हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं कमांक ईई–594 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाई प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी लगाई एवं चारो पर नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर श्री देबाशीष पाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की छः प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को ज़मा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी जयपुर एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी जयपुर के पत्र कमांक 313 दिनांक 30.09.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1986/एक्ट/2015/1254 दिनांक 24.09.2015 के अनुसार जनरल मैनेजर द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। निदेशालय के आदेश कमांक 296 दिनांक 14.03.2017 के द्वारा श्री रोहित शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रत्याहारित कर प्रार्थी भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माननीय न्यायालय में एफएसए प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्ये सेवाये जयपुर ने पत्र कमांक / एफएसएसए/सी.टी./2017/स्वीकृति/137 दिनांक 30.08.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि खाद्य पदार्थ पनीर) सबस्टेण्डर्ड विकय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री महेन्द्र शर्मा उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगणों की ओर से श्री महेन्द्र शर्मा कुमार शर्मा उपस्थित आये। जिन्होनें अपना जवाब दिनांक 01.03.2019 प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। दौराने बहस नोटिस के संलग्न प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत बताया तथा निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। वर्तमान में फर्म मैसर्स बुटिक्स होटल रिनोवेशन के काम से बन्द है। फर्म द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर प्रतिष्ठित व्यापारियो से लिया जाता है। धारा 52 में प्रथम बार मिसब्राण्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंधन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर